क्रम संख्या–01 (ख) पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 03 जनवरी, 2015 ई0

पौष 13, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 341/XXXVI(3)/2015/87(1)/2014

देहरादून, 03 जनवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद विधेयक, 2014"** पर दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद के गठन और उससे सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों के विनियमन के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "परिषद" से धारा 3 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य खनिज परिषद अभिप्रेत है;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से परिषद का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(ड.) "विधान सभा" से उत्तराखण्ड की विधान सभा अभिप्रेत है।

उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषदका गठन तथा उसका क्षेत्राधिकार

3 (1) राज्य सरकार उपधारा (2) में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के प्रयोजन के लिए उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद (जिसे यहां आगे परिषद कहा गया है) ज्ञात नाम से स्थापित कर सकेगी।

(2) परिषद का क्षेत्राधिकार ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद का अध्यक्ष एवं सदस्य

4. (1) राज्य सरकार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परिषद का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार परिषद में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी–

(क) अवस्थापना विकास आयुक्त– पदेन सदस्य

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, खनन--पदेन सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व-- पदेन सदस्य

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण-- पदेन सदस्य

(ड.) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन-- पदेन सदस्य

(च) प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम--पदेन सदस्य

(छ) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म --सदस्य--सचिव,

परन्तु यह कि राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, नियुक्त कर सकेगी।

(3) परिषद के अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से विधान सभा सदस्य के रूप में उसकी कार्यावधि की तारीख तक होगी।

(4) परिषद के सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद की बैठकें, गणपूर्ति तथा अन्य विषयों का विनियमन

5\. (1) परिषद की वर्ष में न्यूनतम तीन बैठकें होंगी और परिषद का अध्यक्ष देहरादून में बैठक आहूत करने के लिए अधिकृत होंगे;

परन्तु यह कि परिषद का अध्यक्ष आवश्यकतानुसार राज्य के अन्य स्थानों पर भी बैठक आयोजित कर सकेंगे।

(2) परिषद की बैठकों की गणपूर्ति तथा अन्य विषयों का विनियमन ऐसे होगा, जैसा नियमों में विहित किया जाय।

(3) परिषद की बैठकों के आयोजन का नोटिस तथा उसका कार्यवृत्त सदस्य--सचिव के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जायेगा।

परिषद के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का वेतन एवं भत्ते

6\. परिषद के सदस्यों के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों का वेतन तथा भत्ते एवं अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

परिषद के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को हटाया जाना

7\. सज्य सरकार परिषद के अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय, से उनके पदों से हटा सकेगी।

परिषद के आय--व्ययक तथा अन्य लेखों का रखा जाना तथा उनकी लेखापरीक्षा

8\. परिषद के आय--व्ययक एवं लेखों का रखरखाव तथा उनकी लेखापरीक्षा की रीति ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

नियम बनाने की शक्ति

9\. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के कियान्वयन हेतु नियम बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को उसके बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेगें।

निरसन एवं व्यावृत्ति

10. (1) उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या 04 वर्ष 2014) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 341/XXXVI(3)/2015/87(1)/2014
Dated Dehradun , January 03, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand State Mineral Development Board Bill , 2014"** (Adhiniyam Sankhya 01 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 December, 2014.

THE UTTARAKHAND STATE MINERAL DEVELOPMENT BOARD ACT, 2014

(THE UTTARAKHAND Act No. 01 of 2015)

to establishment the Uttarakhand State Mineral Development Board and for matters connected therewith or incidental thereto.

An

Act

Be it enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand State Mineral Development Board Act, 2014.

(2) it extends to the whole of State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Board" means the Uttarakhand State Mineral Development Board constituted under section 3,

(b) '"Prescribed" means prescribed by the rules under this Act.

(c) "Government" means the Government of the Uttarakhand;

(d) "Member" means member of the Board and include its chairman,

(e) "Legislative Assembly" means Legislative Assembly of the Uttarakhand.

Constitution of the State Mineral Development Board and its jurisdiction.

3. (1) There shall be established a State Mineral Development Board (hereinafter referred as Board) for the purpose of mentioned jurisdiction in sub section (2).

(2) The jurisdiction of the Board shall be such as may be prescribed by the State Government.

Chairman, Vice-chairman and members of the Board

4. (1) The State Government may make appoint a Chairman and a Vice chairman amongst from the elected members of the Legislative Assembly.

(2) The State Government may make nomination of the following members in the Board.

(a)	Infrastructure Development Commissioner	*Ex officio member*
(b)	Principal Secretary / Secretary Mineral	*Ex officio member*
(c)	Principal Secretary / Secretary Revenue	*Ex officio member*
(d)	Principal Secretary / Secretary Forest and environment	*Ex officio member*
(e)	Principal Secretary / Secretary Tourism	*Ex officio member*
(f)	Managing Director, Kumaon Mandal Vikas Nigam, Garhwal Mandal Vikas Nigam and Uttarakhand Van Vikas Nigam	*Ex officio member*
(g)	Director, Geology and Mineral	*Member-Secretary*

Provided that the State Government may make appoint non Governmental members which numbers shall not more than three in special circumstances,

(3) The tenure of the Chairman and Vice-chairman from the date of resuming his duties shall be the date of his tenure as a Legislative Assembly member.

(4) The tenure of the members of the Board shall be such as may be prescribed.

Meetings, quorum and regulation of other matters of the Board

5. (1) There shall be minimum three meetings conducted by the Board in a year and the Chairman of the Board shall authorized summon a meeting in Dehradun,

Provided that as per necessity, the Chairman may make summon meeting in other places of the State.

(2) The quorum of the meeting and regulation of other matters shall be such as may be prescribed.

(3) The notice of the meetings and the minutes of Board shall be countersigned with the signature of the Member -Secretary.

Pay and allowance of the Chairman, Vice-Chairman and non Governmental members

6. The pay and allowance and other terms of the Chairman, Vice- Chairman and non Governmental members shall be such as may be prescribed by the Government.

Removal of the Chairman, Vice-Chairman and non Governmental members

7. The State Government may make remove from his post of the Chairman, Vice-Chairman and non Governmental members in such manner and in such terms as may be prescribed by the State Government.

Maintenance of the Budget and other accounts of the Board and audit

8. The Budget and maintenance of the account of the Board and manner of audit shall be such as may be prescribed by the State Government.

Power to make rules

9. (1) The State Government may make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Rules made by the State Government shall as soon as may be after it is made, be laid before the State Assembly.

317/14

Repeal and Saving **10.** (1) The Uttarakhand State Mineral Development Board Ordinance, 2014 (Ordinance no 04 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 विधायी / 14–2015–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।